न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 102/2025 निर्णय दिनांक :– 13-5-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/347)

1. ओम कंवर पत्नी करणीसिंह जाति राजपूत निवासी करणीनगर, बीकानेर।
2. सीता देवी पत्नी करणीसिंह जाति राजपूत निवासी करणीनगर, बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. चंपालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. गोमती बेवा जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. धन्नु पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. कांता पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. तुलसीराम पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
8. अमरी देवी बेवा रूघाराम जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. भंवरलाल पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. मूलचंद पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. रामदेव
12. मदनाराम
13. छोटाराम
14. तेजाराम

   पिसरान चोलाराम जाति बेलदार (ओड) निवासी पंचमुखा हनुमानजी, बीकानेर हाल आबाद सांखला बस्ती,कोलायत

15. धनकी पुत्री चोलाराम पत्नी नत्थुराम जाति बेलदार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16. झागीराम उर्फ भागीरथ
17. नरसीराम उर्फ जस्साराम
18. धर्माराम
19. श्रीराम
20. परमेश्वरी

} पिसरान सुगनाराम पुत्र अमरूराम जाति बेलदार (ओड) निवासी पंचमुखा हनुमानजी बीकानेर हाल आबाद सांखला बस्ती कोलायत, बीकानेर।

21. शांति बेवा पदमाराम
22. हड़मान पुत्र पदमाराम
23. जगुराम पुत्र पदमाराम
24. बीरबल पुत्र अमरूराम

} जाति बेलदार (ओड) निवासी पंचमुखा हनुमानजी, बीकानेर हाल आबाद सांखला बस्ती, कोलायत बीकानेर।

25. भंवरी पुत्री अमरूराम पत्नी कालूराम जाति बेलदार
26. विरेन्द्र सिह जोरा पुत्र प्रीतमसिंह जाति जोरा (सोनी) निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर
27. दीप सिह जोरा पुत्र प्रीतमसिंह जाति जोरा (सोनी) निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर

28. जशोदा कंवर
29. मनोहर कंवर
30. दिलिप कंवर
31. देवीसिंह (फौत)
31/1 श्रीमती सुनिता

} पिसरान सबलसिंह सिंह जाति राजपूत निवासी नागणेची जी रोड़, करणीनगर, बीकानेर।

31/2 विश्वजीत सिंह
31/3 हर्षवर्धन सिंह
31/4 पुष्पेन्द्र सिंह
32. सुरेन्द्र सिंह
33. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
34. शान्ता बैद पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति बैद निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर
35. हेमेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति बैद निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर
36. सरिता भण्डारी पुत्री सुरेन्द्र सिंह पत्नी नवनीत निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर
37. मंजू देवी पुत्री सुरेन्द्र सिंह पत्नी आलोक बम्ब निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19–11–2025
न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांटस
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10
3. श्री रणजीत सिंह निर्वाण अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11, 12, 18, 22
4. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 17, 19, 21
5. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 26 व 27, 36, 37
6. श्री केदारनाथ सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 31/1 व 31/4
7. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 19–11–2025 जिसके द्वारा रिसीवरी के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि यह कि जैर अपील रकबा वाके रोही ग्राम किसमीदेसर स्थित पुराना खसरा नंबर 342 तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा जिसके सेटलमेंट के खसरा नंबर 849, 850, 851, 1063, 1064, 1065 कुल तादादी 14.27 हेक्टेयर रकबा रेस्पोंडेंट सं. 11 ता 25 के पूर्वज पेमी बेवा अमरूराम वगैरहा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड रही है जिसमें से अपीलांट्स सं. 1 व 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 12.04.1988 को क्रमशः 24–24 बीघा कुल 48 बीघा आसा–पासा सहित खरीद कर रखी है। जिसका इंतकाल सं. 554 दिनांक 02.05.1991 को सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलांट्स के नाम से स्वीकृत किया गया है और खरीद के दिन से आज दिनांक निरंतर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त अपीलांट्स की चली आ रही है। इस दौरान रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 के पूर्वजों में से कुछ लोगों का स्वर्गवास होने के कारण एवं सेटलमेंट कार्यवाही चालु होने के कारण अपीलांट्स के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल सं. 554 का अंकन रिकार्ड राजस्व जमाबंदी में दर्ज करने से रह गया अर्थात मूल विक्रेतागण चोलाराम व सुगनाराम वगैरहा के नाम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से ही जमाबंदी अंकित रह गई जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 ने अपने नाम से विरासतन इंतकाल सं. 130 दिनांक 22. 05. 2003 को दर्ज करवा लिया और उक्त अंकन की आड में हम अपीलांट्स के कब्जाकाश्त में बेजा दखलंदाजी करने लगे इस कारण अपीलांट्स ने तत्समय न्यायालय उपखंड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष दिनांक 17.12.2004 को ओमकंवर – बनाम–कानु आदि अनवान से दावा पेश किया जिसमें साक्ष्य वादी भी पेश हो चुकी थी और दावा मेरिट की स्टेज पर निस्तारण योग्य था इसी दौरान रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 की तरफ से दिनांक 24.01. 2012 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया कि प्रतिवादी नं. 1 कानुदेवी व प्रतिवादी नं. 3 पदमाराम का निधन हो चुका है और दावा अबेट के आधार पर खारिज फरमावें जिसका जबाब दिनांक 03.05.2012 को अपीलांट्स् द्वारा पेश कर अवगत कराया गया कि प्रतिवादी सं. 1 कानु के वारिसान पहले से ही दावा में मौजूद है और प्रतिवादी सं. 3 पदमाराम जो रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 के परिवार का ही सदस्य है, के वारिसों की सूचि प्रतिवादी से दिलाई जावे ताकि उन्हें रिकार्ड पर लिया जा सके। तब से पत्रावली इस प्रार्थना पत्र के जबाब में चल रही थी जिसे तत्समय अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने न्याय की मंशा के प्रतिकुल जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 08.05.2018 को दावा अबेट के आधार पर खारिज कर दिया जिसकी अपील जानकारी से अंदर मियाद न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की हुई है जिसमें मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 30.10.2025 से प्रभावी है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश दिनांक 19.11. 2025 को रिसीवर के जरिये रकबा को कुर्क करने के आदेश पारित किये है जो आदेश विधि विरूद्ध एवं साम्य न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकुल पारित होने के कारण स्वतः शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील रकबा वाके रोही किसमीदेसर स्थित खसरा नं. 342 तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 के पूर्वज पेमी बेवा अमरूराम, सुगनाराम, चेलाराम, बीरबलराम, पदमाराम, भंवरी पुत्र एवं पुत्री अमरूराम जाति ओड (बेलदार) निवासीगण बीकानेर के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड रहा है जिन्होंने जरिये बैयनामा दिनांक 12.04.1988 को 24 बीघा भूमि ओमकंवर को, 24 बीघा भूमि सीतादेवी को, 23 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि बुधराम पुत्र गोविंदराम जाट को एवं 24 बीघा भूमि सबलसिंह को कुल 95 बीघा 10 बिस्वा भूमि संपूर्ण विकय कर दी थी उसी दौरान सेटलमेंट कार्यवाही चल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रही थी सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त ख.नं. 342 के नये खसरा नंबर 849 में 0.06, 850 में 2.81, 851 में 0.36, 1063 में 2.13, 1064 में 7.30, 1065 में 1. 61 कुल तादादी 14.27 हेक्टेयर बनाई गई जिसमें से अपीलांट्स की खरीदशुदा 48 बीघा भूमि अर्थात 7.26 हेक्टेयर भूमि का इंतकाल सं. 554 दिनांक 02.05.1991 को सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलांट्स के नाम स्वीकृत किया गया परंतु अमलाराज की लापरवाही के कारण रिकार्ड राजस्व जमाबंदी में इसका अंकन नहीं हो सका जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 ने विरासतन इंतकाल सं. 130 दिनांक 23.05.2003 को अपने नाम से अंकन करवाकर आगे अन्य खरीददार रेस्पोडेंट सं. 26 व 27 सहित अन्य लोगों को संपूर्ण भूमि जरिये मुख्त्यारआम विक्रय कर रखी है। मौके पर उक्त पश्चातवर्ती केता में से किसी का भी कब्जा नहीं होने से उक्त खरीददार अपीलांट्स के 48 बीघा अर्थात 7.26 हेक्टेयर भूमि में बेजा दखलंदाजी करने लगे और इन लोगों ने रेस्पोडेंट सं. 1 ता 25 के साथ सांठगांठ कर अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट सं. 1 ता 10 द्वारा प्रस्तुत दावा अनवान बाधुदेवी बनाम रामदेव आदि में दिनांक 11. 08. 2025 को उक्त भूमि को कुर्क करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बिना कोई जवाब लिए बिना कोई मौका की रिपोर्ट मंगवाये रिसीवर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई इसी दौरान रेस्पोडेंट सं. 28 ता 32 द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2025 को पेश किया गया जिसे 03.11.2025 को स्वीकार कर दिनांक 19.11.2025 को जवाब हेतु रखा गया तत्पश्चात पुनः बहस होनी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट सं. 1 ता 10 को फायदा पहुंचाने की गरज से उसी दिन रेस्पोडेंट सं. 28 ता 32 का जवाब बंद करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलांट्स के कब्जाकाश्त भूमि सहित संपूर्ण रकबा को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये और तहसीलदार बीकानेर को रिसीवर नियुक्त किया गया जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय का न्याय की मंशा के प्रतिकुल मनमाने तरीके से पारित होने के कारण स्वतः शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने 2004 के प्रकरण में जैर अपील आदेश रिसीवर नियुक्त करने बाबत 21 साल बाद इस आधार पर पारित किया है कि वादी / प्रार्थीगण उप–काश्तकार की हैसियत से पूर्व में रिकार्ड मे रहे है जिसकी डिकी 1984 में चिर निषेधाज्ञा की पारित हुई है मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है उसके बावजूद वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी के पक्ष में किया गया है, के अलावा जिस व्यक्ति के कब्जे में भूमि है उस पर रिसीवर नियुक्त किया गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है व नगद प्रतिभूति के बदले कब्जा वापिस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है इत्यादि निष्कर्ष निर्णय में अंकित किये है अर्थात अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी विरोधाभाषी निष्कर्ष निकाला है स्वयं पीठासीन अधिकारी भी कब्जा व टाईटल को लेकर भ्रमित है और रिकार्ड में वादी का नाम नहीं होने के बावजूद भी रिसीवर के जरिये हम अपीलांट्स को कब्जा से बेदखल करने की मंशा से निर्णय पारित किया है जो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त करने बाबत जो मूल आधार बनाया है वह न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2004 को रेस्पोडेंटसं. 11 ता 25 को आगामी पेशी तक रहन–बैय, हस्तांतरण नहीं करने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 ने उक्त भूमि रेस्पोडेंट सं. 26 व 27 के पति व पिता प्रीतमसिंह को जरिये बैयनामा दिनांक 26.07.2007 को विक्रय होना बताया है जबकि अपीलांट्स ने उक्त रकबा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से पूर्व ही दिनांक 12.04.1988 को ही खरीद कर लिया था इसलिए अपीलांट्स द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया गया है, के अलावा रेस्पोडेंट सं. 11 ता 27 द्वारा जो विक्रय संबंधी कार्यवाही की गई है वह पश्चातवर्ती बैयनामा के आधार पर स्वतः ही शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में आते है। उक्त भूमि पर 1988 से अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 28 ता 32 ही काबिज है जिन्हें कब्जा से बेदखल करने के लिए रिसीवर नियुक्ति के जरिये रकबा कुर्की कर कब्जा से बेदखल करने हेतु जैर अपील आदेश दिनांक 19.11.2025 को पारित किया गया है जो न्याय की मंशा एवं साम्य न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकुल पारित होने से स्वतः शुन्य आदेश है जिसे निरस्त फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण 2004 से विचाराधीन है जिसमें अपीलांट्स को दिनांक 08.05.2018 को पक्षकार बना लिया गया तब से पत्रावली में नियमित कार्यवाही चल रही थी अचानक रेस्पोडेंट सं. 11 ता 27 ने आपस में दुरभी संधि कर अपीलांट्स को कब्जा से बेदखल करने की नियत से रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 द्वारा दिनांक 11.08.2025 को रिसीवर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें बिना किसी पक्ष के जवाब लिये अधिनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में अपीलांट्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से एवं रेस्पोडेंट सं. 11 ता 25 को फायदा पहुंचाने की गरज से विधि विरूद्ध तरीके से रिसीवर नियुक्ति के आदेश दिनांक 19.11.2025 को पारित किये है जो आदेश स्वच्छ न्याय की परिभाषा में नहीं आता है और आदेश न्याय की मंशा के प्रतिकुल बिना मेंडेटरी

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

प्रावधानों को अपनाये जारी होने से स्वतः शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो निर्णय की परिभाषा में ही नहीं आता है क्योंकि जो अंतिम रूप से आदेश पारित होता है उसमें स्पष्ट रूप से न्यायालय का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, संपूर्ण वादी/प्रार्थी व संपूर्ण प्रतिवादी/अप्रार्थी का नाम अनवान सहित, उपस्थित अधिवक्ताओं का नाम, निर्णय की तारीख अंकित होकर ही निर्णय पारित किया जाता है। जैर अपील आदेश में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है, के अलावा संपूर्ण निर्णय कम्प्यूटराईज्ड है और निर्णय की तारीख हाथ से अंकित है जो न्याय की मंशा के प्रतिकुल साबित है जो निर्णय को दूषित करता है, के आधार पर जैर अपील आदेश स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्टस संख्या 26, 27, 36 व 37 की ओर से श्री हरीश कोठारी ने जवाब बहस में कथन किये कि प्रश्नगत भूमि लेण्ड इन मीडियो की श्रेणी में आती है। रेस्पोडेन्टस जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड के अपीलाधीन भूमि के केता है। सेलडीड में कब्जा रेस्पोडेनट संख्या को दिया जा चुका है। सभी पक्षो के अधिकार दावे में तय होने है। तब तक अपीलाधीन भूमि को रिसीवर रखा जाना उचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 की ओर से श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने जवाब बहस में कथन किये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के पूर्वज संवत 2011 से इस भूमि पर काबिज थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–1984 द्वारा इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 14 के पूर्वजो को काबिज माना तथा इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जो कि आज दिनांक तक खारिज नही हुआ है। अपीलाटस द्वारा 1988 में इस जमीन को खरीदना बताया जा रहा है। जबकि हमारे पक्ष में निर्णय 1984 का है। हम धारा 19 व 19ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार अधिकार वेस्ट हो चुके है। न्यायिक दृष्टांत 1990 आरआरडी पेज 328 व न्यायिक दृष्टांत 1997 आरआरडी पेज 38 प्रस्तुत कर कथन किये कि प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलाधीन भूमि का टाईटल डिस्पुटेड है। जब 1984 से ही अपीलाधीन भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी था तो 1988 में इस भूमि का विक्रय स्वत वोइड है। स्थगन आदेश के बावजूद प्रश्नगत भूमि का लगातार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बेचान होता रहा। स्थगन आदेश के उल्लंघन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस भूमि पर रिसीवरी आदेश पारित किये गये है जो कि विधि सम्मत है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1987 पेज 286, आरआरडी 1985 पेज 602, आरआरडी 1989 पेज 03, आरआरडी 1993 पेज 498, 509 व 700, आरआरडी 2012 पेज 527 पेश किये।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रकरण में निम्नाकिंत तथ्य निर्विवादित है–

ए– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–1984 पारित किया गया। जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 14 के पूर्वज शंकरलाल वगै. को अपीलाधीन भूमि पर संवत 2013 से काबिज होने की घोषणा की गई तथा अपीलाधीन भूमि पर चिर निषेधाज्ञा जारी की गई।

बी– अपीलांटस द्वारा वर्ष 1988 में जरिये रजिस्टर्ड बैनामा अपीलाधीन भूमि कय की गई।

सी– अपीलाधीन भूमि का विरासतन इंतकाल दिनांक 23–05–2003 को रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 25 के पक्ष में किया गया।

डी– रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 25 द्वारा रेस्पेडेन्ट संख्या 26 व 27 व अन्य लोगो को इस भूमि का बैचान किया गया।

उपर्युक्त तथ्यो से यह बात साबित है कि अपीलाधीन भूमि का टाईटल विवादग्रस्त है। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री दिनांक 14–02–1984 में कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्य 1 ता 14 के पूर्वजो का माना है, अपीलांटस रजिस्टर्ड सेलडीड के आधार पर कब्जा होना बताते है। जबकि विरासतन इंतकाल के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 25 अपना कब्जा होना अभिकथित करते है। इस सूरत में कब्जा भी विवादित है।

प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि स्थगन आदेश के उपरान्त भी अपीलाधीन भूमि का अन्तरण हुआ है। इस स्थिति में अपीलाधीन भूमि मुख्य रूप से तीन पक्षो के मध्य विवादित टाईटल व विवादित कब्जे की भूमि है। जिसका वाद के निस्तारण तक संरक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि इसके दुरव्ययन को रोका जा सके।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दूओं पर विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर (शहर) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–11–2025 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 13-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते